राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

माननीय उपाध्यक्ष कार्यालय

फाइल संख्या - . NCBC/DO/2020/251-VC

सुनवाई की तिथि – 10/07/2020

***

श्री रामकिशन प्रजापति, यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी, गाजियाबाद के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में माननीय उपाध्यक्ष डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110066 में दिनांक 10.07.2020 समय 12:00 बजे सुनवाई नियत की गयी |

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. श्री लोकेश कुमार प्रजापति, माननीय उपाध्यक्ष महोदय
2. श्री संदीप कुमार, निजी सचिव मा0 उपाध्यक्ष
3. श्री जे. रविशंकर, अवर सचिव
4. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
5. राजशी पटवारी, अनुसंधान अन्वेषक

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण :-

1. प्रमुख सचिव, आबकारी
2. संयुक्त आयुक्त, आबकारी
3. शिकायतकर्ता

उपस्थित पक्षगण :-

1. श्री रामकिशन प्रजापति, शिकायतकर्ता

उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री राजेश त्रिपाठी, संयुक्त आबकारी आयुक्त
2. श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त

संलग्न :-

1. श्री रामकिशन प्रजापति द्वारा प्रेषित विवरण सहित शिकायत पत्र |
2. जाँच आख्या

आवेदक श्री रामकिशन प्रजापति द्वारा लगाये गए आरोप:-

उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक श्री रामकिशन प्रजापति गाजियाबाद में यूपी बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम से कंपनी चलाते हैं और कुछ समय पहले तैनात हुए सहायक आबकारी आयुक्त श्री दिनेश शुक्ल शिकायतकर्ता को अनावश्यक परेशान कर रहे है। हर बार गाड़ी लोड कराने पर पैसे की मांग करते हैं यदि पैसा नहीं मिलता है तो कुछ भी बहाना लगा कर गाड़ी को लोड नहीं होने देते है । इस बारे में उन्होने डिप्टी ज्वाइंट कमिश्नर मेरठ यूपी को भी अवगत कराया और माननीय आबकारी मंत्री जी को भी अवगत कराया है परंतु आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है।

उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने पत्रांक दिनांक 10/07/2020 के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि मैंने आपके यहाँ पर एक आबकारी अधिकारी श्री अरुण कुमार शुक्ल जी ऐ.डी.एस. डिस्टलरी प्रा.ली. सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर तैनात है | महोदय मैंने उनके विरुद्ध एक याचिका दी थी | जिसकी सुनवाई दिनांक 10/07/2020 को नियत हुई | महोदय आपसे निवेदन है कि इस अधिकारी के यहाँ पर तैनात रहते हुए मेरी निष्पक्ष जाँच नहीं हो सकती | अरुण कुमार शुक्ल अपने पद का पूर्व से ही दुरूपयोग करते है | अरुण कुमार शुक्ल अपने पद के प्रभाव से सम्पूर्ण जाँच प्रभावित करेंगे | जोकि निष्पक्ष व नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है | अतः उपरोक्त को द्रष्टिगत रखते हुए निष्पक्ष जाँच हेतु तथा जाँच प्रभावित न हो सके, को ध्यान में अरुण कुमार शुक्ल को स्थानांतरित करते हुए जांच पूर्ण की जाए अन्यथा किसी स्थिति में निष्पक्ष जाँच संभव नहीं है | उचित कार्यवाही कर न्याय दिलवाने की कृपा करे |

संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या

संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया कि विषयगत प्रकरण की जाँच मेरे द्वारा दिनांक 07-07-2020 को ए०डी०एस० आसवनी, सिकंदराबाद जनपद – बुलंदशहर जाकर की गयी |

उक्त शिकायक श्री राम किशन प्रजापति द्वारा दिनांक 15.06.2020 को गयी है, जो निम्नानुसार है :-

शिकायतकर्ता रामकिशन प्रजापति द्वारा कहा गया है कि गाजियाबाद में यू०पी०-बिहार ट्रा० कं० कंपनी के नाम से कंपनी चलाता हूं | श्रीमान जी मैं यू०पी० की शराब कंपनियों द्वारा सप्लाई करता हूं । महोदय मै० ए० डी० एस० डिस्टलरी सिकंदराबाद जिला, बुलंदशहर (यू०पी०) से यू०पी० की सप्लाई करता हूं । अतः महोदय कुछ समय से वहां पर तैनात असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी मि० दिनेश शुक्ल जी ने मुझे काम करना मुश्किल कर दिया है । कभी प्रति गाड़ी लोड कराने पर पैसे की डिमांड करते हैं । यदि पैसे नहीं मिलते हैं तो कुछ भी बहाना लगाकर गाड़ियों को लोड नहीं होने देते हैं । इस बारे में मैंने डिप्टी ज्वाइंट कमिश्नर मेरठ यू०पी० को भी अवगत कराया है मा० आबकारी

कैबिनेट मंत्री जी को भी मेल व फोन द्वारा अवगत कराया गया है । महोदय मेरी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इस प्रकार की शिकायत करते हुए शिकायतकर्ता श्री राम किशन प्रजापति द्वारा सहायता करने की अपेक्षा की गयी ।

उक्त शिकायत के संबंध में मेरे द्वारा श्री राम किशन प्रजापति को कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त ए० डी० एस० आसवनी सिकंदराबाद, जनपद बुलंदशहर में शिकायत की पुष्टि की तथा पक्ष सुने जाने के लिए उन्हें दूरभाष पर अवगत कराया गया जिसके क्रम में श्री राम किशन प्रजापति कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त, ए० डी० एस० आसवनी में उपस्थित हुए । इसी क्रम में श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त, ए० डी० एस० आसवनी, (श्री दिनेश शुक्ल शिकायत में गलत नाम अंकित है) तथा आसवक की ओर से श्री दीपक अग्रवाल, कॉमिर्शियल मैनेजर, उपस्थिति हुए |

जांच के दौरान सभी संबंधित द्वारा प्रकरण में अपना पक्ष/अपना बयान- लिखित एवं मौखिक रूप से निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया -:

1. श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त, ए० डी० एस० आसवनी, सिकंदराबाद, जनपद - बुलंदशहर द्वारा अपना पक्ष लिखित बयान प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि आसवक द्वारा उपलब्ध कराए गए मदिरा संबंधित वाहनों को उत्तर प्रदेश, (आबकारी आसवनी की स्थापना)(12वा संशोधन) नियमावली, 2018 के बिंदु 21(ii) 10, 11, 12 उ०प्र० आबकारी विदेशी मदिरा भराई (19वा संशोधन) नियमावली 2018 के बिंदु 20 (i),(vi), 21,(i) में वर्णित नियमों एफ० एल० 36 पास के मानक के अनुरूप, जांच कर पारेषनों की निकासी अनुमन्य की जाती है | राजस्व क्षति की संभावना के दृष्टिगत मानक पूर्ण न करने वाले वाहनों को अनुमति नहीं दी जाती है । ऐसे बिना मानक के वाहनों से निकासी हेतु उक्त वाहन कंपनी मालिक रामकिशन द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है । उक्त व्यक्ति के मानक अनुरूप मेरे द्वारा निरंतर एवं अघतन (आज भी) निकासी दी गई है | उक्त विषयक शिकायत पूर्णतया मिथ्या एवं असत्य है | मेरे द्वारा कभी पैसे की मांग नहीं की गई । उक्त व्यक्ति द्वारा मुझ पर लंबे समय से अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। दिनांक 13.02.2020 को भी मेरे विरुद्ध मिथ्या शिकायत मा० आबकारी मंत्री महोदय को इनके द्वारा की जा चुकी है | मुझे मानसिक व मनोवैज्ञानिक रूप से हतोत्साहित एवं परेशान किया जा रहा है | साथ में श्री शुक्ल द्वारा ऊपर वर्णित नियमावली के संदर्भित बिंदुओं में उल्लेखित नियम भी संलग्न किया गया है ।

2. आसवक की ओर से श्री दीपक अग्रवाल, कॉमिर्शियल मैनेजर द्वारा अपना बयान आसवनी के लेटर हेड पर दिनांक 07.07.2020 को नियमानुसार प्रस्तुत किया गया:-

विदेशी मदिरा के परिवहन हेतु हमारे द्वारा तीन ट्रांसपोर्टर अधिकृत है, सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद पी0सी0सी0 लॉजिस्टिक लि० दिल्ली व यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी, गाजियाबाद | उक्त ट्रांसपोर्टरो से कंपनी विदेशी मदिरा के परिवहन हेतु गाड़ियां मंगाती है तथा आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर उन गाड़ियों के कागज चेक किए जाते हैं । अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो गाड़ी को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि मदिरा के परिवहन में राजस्व निहित होता है जिससे राजस्व कि कोई हानि ना होने पाए | आपको यह भी अवगत कराना है कि माह अप्रैल 2020 से पहले हमारे पास एक ही ट्रांसपोर्ट यू0पी0 बिहार कंपनी मदिरा का परिवहन करती थी | मगर निकासी बढ़ने के कारण कंपनी द्वारा दो अन्य ट्रांसपोर्ट अधिकृत किए गए | वर्तमान वित्तीय वर्ष में तीनों ट्रांसपोर्टरों द्वारा गाड़िया उपलब्ध कराई जाती है, जो गाड़ी आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सही पाई जाती है, उन्हें निकासी हेतु अनुमति दे दी जाती है तथा जो गाड़ी सही नहीं पाई जाती, उन्हें वापस कर दिया जाता है | वर्तमान वित्त वर्ष में माह मई 2020 से आज दिनांक 07.07.2020 तक सरस्वती ट्रांसपोर्टर ने 173 गाड़ियां, पी0सी0सी0 लॉजिस्टिक लिमिटेड ने 141 गाड़िया तथा यूपी-बिहार ने 84 गाड़ियां निकासी हेतु उपलब्ध कराई है | यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी की दो गाड़ी आज भी निकासी हेतु उपलब्ध है ।

3. शिकायतकर्ता द्वारा अपना पक्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया :-

शिकायतकर्ता द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया गया कि उसकी जो गाड़ी लोड होने के लिए आती है उसके पहले तो लोड होने से पहले ही गाड़ी की डिमांड पैसे की होती थी और यदि नहीं देते तो उस गाड़ी को वापस कुछ बहाना लगा कर वापस करना और गाड़ी लोड होने पर समय पर नहीं निकालना और मेरे सामने किसी और ट्रांसपोर्टर का कॉम्पिटिशन में खड़ा करना आदि का उल्लेख करते हुए शिकायतकर्ता द्वारा जांच कर उचित कार्रवाई करने की अपेक्षा की गई है। इसी क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा मौखिक रूप से यह भी कहा गया कि श्री शुक्ल द्वारा परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित मानकों को जैसे- गाड़ियों की ओवर लोडिंग, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आदि का भी जांच किया जाता है | उनका यह भी कहना है कि कागजातों का चेक जानकारी विभाग का कार्य नहीं है, यह परिवहन विभाग का कार्य होता है।

शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत एवं उसके द्वारा दिए गए बयान, सहायक आबकारी आयुक्त, श्री अरुण कुमार शुक्ल द्वारा शिकायत के विरुद्ध प्रस्तुत किए गए उनके पक्ष, साथ ही श्री दीपक अग्रवाल, कॉमिर्शियल मैनेजर आसवनी द्वारा दिए गए अभिकथनों एवं मौखिक रूप से किए गए कथन के आधार जांच के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आए :-

1- सहायक आबकारी आयुक्त, श्री अरुण कुमार शुक्ल द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोप के विरुद्ध यह कहा गया है कि आसवनी में मदिरा परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टरों का लगाया जाना आसवक का कार्य होता है | आसवनी में मदिरा परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टरों का लगाया जाना आसवक द्वारा किया जाता है | आबकारी विभाग द्वारा

निर्धारित मानक जैसे- गाड़ी में उसकी ट्रैकिंग के लिए जी0पी0एस0 का लगा होना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि कागजात का परीक्षण करने के उपरांत ही आसवक द्वारा गाड़ियां राजस्व हित में परिवहन के लिए सहायक आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का दायित्व आसवक का है | उक्त प्रपत्रों के आवश्यक जांच उपरांत ही सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा परिवहन के लिए गाड़ियों के उचित पाए जाने की दशा में लोडिंग के लिए अनुमति दी जाती है | मदिरा लोडिंग के लिए किस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी लेनी है, यह पूर्णतय आसवक का अपना निर्णय होता है | इसमें आबकारी विभाग की कोई भूमिका नहीं होती है |

2- आसवक द्वारा अपने बयान में यह अवगत कराया गया है कि आसवनी में गत वर्ष 2019- 20 में आसवनी में मदिरा परिवहन के लिए केवल एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो शिकायतकर्ता द्वारा संचालित की जाती है, की ट्रांसपोर्ट कंपनी ही लगी हुई थी | वर्ष 2020- 21 में आसवनी में मदिरा के अधिक उत्पादन एवं उसके सुचारू परिवहन के लिए आसवक द्वारा तीन ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां- सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद, पी0सी0सी0 लॉजिस्टिक लिमिटेड, दिल्ली व यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी, गाजियाबाद अधिकृत की गई है | तीन कंपनियों के अधिकृत किए जाने के कारण सभी कंपनियों को मदिरा परिवहन के लिए अवसर दिए जाने की दशा में शिकायतकर्ता का मदिरा परिवहन का अवसर कम होने के कारण शिकायत की गई है | वर्ष 2019- 20 में शिकायतकर्ता की यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी ही कार्य करती थी | जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं अपने बयान में कहा गया है कि सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा उनके समानांतर दो और ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां मदिरा परिवहन के लिए कंपटीशन में खड़ी कर दी गई है, से यह स्पष्ट है कि उनके मदिरा परिवहन करने का अवसर कम होने से शिकायतकर्ता को परेशानी है | जबकि सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा के परिवहन के संबंध में ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अधिकृत किए जाने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, यह पूरी तरह से आसवनी द्वारा अपने व्यापारिक हित को दृष्टिगत रखते हुए आसवक द्वारा ट्रांसपोर्टरों को अधिकृत किया जाता है | अतः शिकायतकर्ता का यह कथन कि सहायक आबकारी आयुक्त, श्री अरुण कुमार शुक्ल द्वारा ट्रांसपोर्ट कंपनियां उनके कंपटीशन में खड़ी कर दी गई, असत्य एवं निराधार है |

शिकायतकर्ता ने श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त, ए0डी0एस0 आसवनी पर गाड़ी लगाए जाने के संबंध में पैसे की मांग किए जाने की शिकायत की गई है | इस संबंध में शिकायतकर्ता से साक्ष्य की अपेक्षा की गई, किंतु उसके द्वारा किसी भी प्रकार साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया | अतएव साक्ष्य के अभाव में श्री शुक्ल पर शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया उक्त आरोप सही नहीं है | यह आरोप शिकायतकर्ता द्वारा स्वार्थ सिद्ध न होने की दशा में सहायक आबकारी आयुक्त पर दबाव बनाए जाने की नियत से लगाया गया है, जबकि इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है |

इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता द्वारा आसवनी एवं सहायक आबकारी आयुक्त, श्री अरुण कुमार शुक्ल की शिकायत अधोहस्ताक्षरी से दूरभाष पर भी की गई थी | मेरे द्वारा उक्त शिकायत को नियमानुसार समाधानित किये जाने हेतु संबंधित को तत्काल निर्देश दे दिया गया था | यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए शिकायत की गई थी किंतु जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा दूरभाष पर की गई उक्त शिकायत असत्य पाई गई |

आसवक द्वारा अधिकृत ट्रांसपोर्ट कंपनियों से मदिरा परिवहन हेतु गाड़ियों के अनुमन्य किए जाने हेतु अभिलेखों के अवलोकन में यह पाया गया कि माह मई - 2020 से जांच दिनांकित 07-07-2020 तक सरस्वती ट्रांसपोर्ट की 173 गाड़ियां, पी0सी0सी0 लॉजिस्टिक कंपनी की 141 गाड़ियां तथा यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी की 84 गाड़ियों को मदिरा परिवहन हेतु उपयुक्त पाते हुए अनुमन्य किया गया है | जांच दिनांकित 07-07-2020 को भी कुल 6 गाड़ियों को लोडिंग के लिए अनुमति दी गई है, जिसमें शिकायतकर्ता की यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी को दो गाड़ी लोडिंग हेतु अनुमन्य है |

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त के विरुद्ध की गई शिकायत निराधार तथ्यों से परे है | शिकायतकर्ता द्वारा उक्त शिकायत में लगाए गए आरोप स्वार्थ पूर्ति हेतु सहायक आबकारी आयुक्त पर नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव बनाए जाने की नियत से लगाए गए हैं | जांच में शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सही नहीं पाई गई |

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:-

शिकायतकर्ता, श्री रामकिशन प्रजापति:

महोदय, मैं पिछले 4 साल से उत्तर प्रदेश में यूपी बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा हूँ, इस कंपनी के अंतर्गत मैं शराब को लोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पाहुचने का कार्य करता हूँ। माल लोड करके उन्हे गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता हूं। शुक्ल जी मुझसे अब डिमांड करने लगे हैं और उनकी डिमांड पूरी न करने पर गलत आरोप लगा देते हैं और लोड हो चुकी गाड़ी जो वजन के लिए जाती है उसमे से वापिस समान निकलवा देते हैं ।

संयुक्त आबकारी आयुक्त, श्री राजेश त्रिपाठी:

महोदय, मैंने पहले ही आयोग में अपना उत्तर जमा करा दिया है, मैं फिर से अवगत कराना चाहता हूं कि सहायक आबकारी आयुक्त का ट्रांसपोर्टर से सीधा लेन देन नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए केवल गाड़ी का नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर लिया जाता है। डायरेक्ट संबंध सहायक आयुक्त के साथ उसका नहीं होता है। हमारा सीधा संबंध आसवक से होता है।

शिकायतकर्ता, श्री रामकिशन प्रजापति:

ऊपर के सारे खर्चे ट्रांसपोर्टर के माध्यम से ही किये जाते है। इनके घर में राशन भी उसी पैसे से जाता है। मैने स्वयं देखा है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

कंपनी क्या करती है यह उनके आपस का मुद्दा है। आप केवल अपनी शिकायत से संबंधित तथ्यों से आयोग को अवगत करवाए ।

शिकायतकर्ता, श्री रामकिशन प्रजापति:

महोदय, ये पैसे लेते हैं लोकल गाड़ी का 500 रुपये और बाहर की गाड़ी 1000 रुपये मांगते है । रूपये ना देने पर गाड़ी लोड नही करने देते है। यह गाड़ी के किराए में भी हिस्सा चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

क्या आप यह कहना चाहते हैं कि यह आप से रिश्वत मांगते हैं।

शिकायतकर्ता, श्री रामकिशन प्रजापति:

जी हाँ सर।

सहायक आबकारी आयुक्त, श्री अरुण कुमार शुक्ल:

महोदय, शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में श्री दिनेश शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त लिखा है जोकि गलत है मेरा नाम अरुण कुमार शुक्ल है। महोदय, यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हम ने कभी भी रिश्वत की मांग नही की है। यह जो खाने-पीने का इंतजाम का जिक्र कर रहे है। लॉकडाउन के समय पर जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार खाने-पीने का इंतजाम फैक्ट्री में ही सारे कर्मचारियों के लिए होता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट अनिवार्य सेवाएँ के अंतर्गत आता है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

ये ट्रांसपोर्टर लगाने की जिम्मेदारी किसकी होती है?

सहायक आबकारी आयुक्त, श्री अरुण कुमार शुक्ल:

आसवक की होती है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

तो आपकी क्या जिम्मेदारी होती है?

संयुक्त आबकारी आयुक्त, श्री राजेश त्रिपाठी:

महोदय, हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम गाड़ी की जाँच करते है । यह भी जाँच करते है कि उसमे कोई दिक्कत तो नहीं है। गाड़ियों में जीपीएस भी लगाया जाता है, जिससे गाड़ी को ट्रैक करते है एवं उसके बारे में सारी जानकारी लेते है जैसे कि गाड़ी किस रूट पर है, कहा रुकी है आदि।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

अगर किसी गाड़ी को क्षति हो जाती है तब उस परिस्थिति में क्या किया जाता है?

संयुक्त आबकारी आयुक्त, श्री राजेश त्रिपाठी:

क्षति होनी की स्थिति में, जिस जगह पर क्षति होती है वहां के जिला आबकारी अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह उस स्थान पर जाए और जो माल बच गया है उसको उसके गंतव्य पर पहुंचाने का इंतज़ाम करे और जो नुकसान होता है उसकी भरपाई डिस्ट्रेस के द्वारा किया जाता है। पहले सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्टर श्री रामकिशन जी थे, परंतु अब दो और ट्रांसपोर्टर आ गये हैं इसलिए इनको यह समस्या हो रही है। एवं गाड़ी ओवरलोड के संबंध में जो शिकायतकर्ता बात कर रहे है मैं आयोग को यह अवगत करवाना चाहुगा कि लोडिंग का सारा कार्य नियमानुसार होता है एवं नेट लोड इत्यादि सभी की सही तरीके से जांच पड़ताल की जाती है।

सहायक आबकारी आयुक्त, श्री अरुण कुमार शुक्ल:

गाड़ी के साथ क्लियर रुल भी भेजा जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष, श्री लोकेश कुमार प्रजापति:

वो तो हर गाड़ी के साथ भेजा जाता है। यह जो लोकल गाड़ी के 500/- रुपये और बाहर की गाड़ी 1000/- रुपये लिए जाते है क्या उसकी रसीद दी जाती है? उसका क्या कारण है ?

शिकायतकर्ता, श्री रामकिशन प्रजापति:

ये सारी बाते झूठ बोल रहे है ये रिश्वत लेते है और ये बात सभी लोग जानते है। आप इनसे पूछिये की आज तक इन्होने कितनी गाड़ियों की जांच पड़ताल की है। आपने अब तक किस-किस ट्रांसपोर्टर की गाड़ियों को ट्रेस किया है और कुल कितनी गाड़ी को ट्रेस किया है ?

<u>तथ्य एवं निष्कर्ष:-</u>

उपरोक्त प्रकरण का सम्यक अवलोकन करने पर एवं प्राप्त अभिलेखीय तथ्यों व साक्ष्यो के परीक्षणोंपरांत आयोग को निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुए :-

1. शिकायतकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि **सहायक आबकारी आयुक्त श्री दिनेश शुक्ल (अरुण कुमार शुक्ल) शिकायतकर्ता को अनावश्यक परेशान कर रहे है। हर बार गाड़ी लोड कराने पर पैसे की मांग करते हैं यदि पैसा नहीं मिलता है तो कुछ भी बहाना लगा कर गाड़ी को लोड नहीं होने देते है । इस बारे में उन्होने डिप्टी ज्वाइंट कमिश्नर मेरठ यूपी को भी अवगत कराया और माननीय आबकारी मंत्री जी को भी अवगत कराया है परंतु आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। उसी क्रम में आगे अवगत कराया गया कि इस अधिकारी के यहाँ पर तैनात रहते हुए मेरी निष्पक्ष जाँच नहीं हो सकती | अरुण कुमार शुक्ल अपने पद का पूर्व से ही दुरूपयोग करते है | अरुण कुमार शुक्ल अपने पद के प्रभाव से सम्पूर्ण जाँच प्रभावित करेंगे | जोकि निष्पक्ष व नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है | अतः उपरोक्त को द्रष्टिगत रखते हुए निष्पक्ष जाँच हेतु तथा जाँच प्रभावित न हो सके को ध्यान में रखकर अरुण कुमार शुक्ल को स्थानांतरित करते हुए जांच पूर्ण की जाए अन्यथा किसी स्थिति में निष्पक्ष जाँच संभव नहीं है |**
2. संयुक्त आबकारी आयुक्त, मेरठ जोन मेरठ द्वारा जांच उपरांत प्रेषित आख्या में अवगत कराया गया कि :-
   क. श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त, ए० डी० एस० आसवनी, सिकंदराबाद, जनपद -बुलंदशहर द्वारा अपना पक्ष लिखित बयान प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि आसवक द्वारा उपलब्ध कराए गए मदिरा संबंधित वाहनों को उत्तर प्रदेश, (आबकारी आसवनी की स्थापना)(12वा संशोधन) नियमावली, 2018 के बिंदु 21(ii) 10, 11, 12 उ०प्र० आबकारी विदेशी मदिरा भराई (19वा संशोधन) नियमावली 2018 के बिंदु 20 (i),(vi), 21,(i) में वर्णित नियमों एफ० एल० 36 पास के मानक के अनुरूप, जांच कर पारेषनों की निकासी अनुमन्य की जाती है | राजस्व क्षति की संभावना के द्रष्टिगत मानक पूर्ण न करने वाले वाहनों को अनुमति नहीं दी जाती है । ***ऐसे बिना मानक के वाहनों से निकासी हेतु उक्त वाहन कंपनी मालिक रामकिशन द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है । उक्त व्यक्ति के मानक अनुरूप मेरे द्वारा निरंतर एवं अघतन (आज भी) निकासी दी गई है | उक्त विषयक शिकायत पूर्णतया मिथ्या एवं असत्य है | मेरे द्वारा कभी पैसे की मांग नहीं की गई । उक्त व्यक्ति द्वारा मुझ पर लंबे समय से अनैतिक दबाव बनाया जा रहा है। दिनांक 13.02.2020 को भी मेरे विरुद्ध मिथ्या शिकायत मा० आबकारी मंत्री महोदय को इनके द्वारा की जा चुकी है | मुझे मानसिक व मनोवैज्ञानिक रूप से हतोत्साहित एवं परेशान किया जा रहा है |*** साथ में श्री शुक्ल द्वारा ऊपर वर्णित नियमावली के संदर्भित बिंदुओं में उल्लेखित नियम भी संलग्न किया गया है ।

ख. आसवक द्वारा अवगत कराया गया कि ***विदेशी मदिरा के परिवहन हेतु हमारे द्वारा तीन ट्रांसपोर्टर अधिकृत है, सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद पी0सी0सी0 लॉजिस्टिक लि० दिल्ली व यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी, गाजियाबाद /*** उक्त ट्रांसपोर्टरो से कंपनी विदेशी मदिरा के परिवहन हेतु गाड़ियां मंगाती है तथा आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित मानको के आधार पर उन गाड़ियों के कागज चेक किए जाते हैं । अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो गाड़ी को वापस कर दिया जाता है, क्योंकि मदिरा के परिवहन में राजस्व निहित होता है जिससे राजस्व कि कोई हानि ना होने पाए | आपको यह भी अवगत कराना है कि माह अप्रैल 2020 से पहले हमारे पास एक ही ट्रांसपोर्ट यू0पी0 बिहार कंपनी मदिरा का परिवहन करती थी | मगर निकासी बढ़ने के कारण कंपनी द्वारा दो अन्य ट्रांसपोर्ट अधिकृत किए गए | वर्तमान वित्तीय वर्ष में तीनों ट्रांसपोर्टरों द्वारा गाड़िया उपलब्ध कराई जाती है, जो गाड़ी आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित मानक अनुसार सही पाई जाती है, उन्हें निकासी हेतु अनुमति दे दी जाती है तथा जो गाड़ी सही नहीं पाई जाती, उन्हें वापस कर दिया जाता है | ***वर्तमान वित्त वर्ष में माह मई 2020 से आज दिनांक 07.07.2020 तक सरस्वती ट्रांसपोर्टर ने 173 गाड़ियां, पी0सी0सी0 लॉजिस्टिक लिमिटेड ने 141 गाड़िया तथा यूपी-बिहार ने 84 गाड़ियां निकासी हेतु उपलब्ध कराई है / यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी की दो गाड़ी आज भी निकासी हेतु उपलब्ध है ।***

ग. सहायक आबकारी आयुक्त, श्री अरुण कुमार शुक्ल द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोप के विरुद्ध यह कहा गया है कि आसवनी में मदिरा परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टरों का लगाया जाना आसवक का कार्य होता है | आसवनी में मदिरा परिवहन हेतु ट्रांसपोर्टरों का लगाया जाना आसवक द्वारा किया जाता है | आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित मानक जैसे- गाड़ी में उसकी ट्रैकिंग के लिए जी0पी0एस0 का लगा होना, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट आदि कागजात का परीक्षण करने के उपरांत ही आसवक द्वारा गाड़ियां राजस्व हित में परिवहन के लिए सहायक आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का दायित्व आसवक का है | ***उक्त प्रपत्रों के आवश्यक जांच उपरांत ही सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा परिवहन के लिए गाड़ियों के उचित पाए जाने की दशा में लोडिंग के लिए अनुमति दी जाती है / मदिरा लोडिंग के लिए किस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी लेनी है, यह पूर्णतय आसवक का अपना निर्णय होता है / इसमें आबकारी विभाग की कोई भूमिका नहीं होती है /***

घ. आसवक द्वारा अपने बयान में यह अवगत कराया गया है कि आसवनी में गत वर्ष 2019- 20 में आसवनी में मदिरा परिवहन के लिए केवल एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी, जो शिकायतकर्ता द्वारा संचालित की जाती है, की ट्रांसपोर्ट कंपनी ही लगी हुई थी | वर्ष 2020- 21 में आसवनी में मदिरा के अधिक उत्पादन एवं उसके सुचारू परिवहन के लिए आसवक द्वारा तीन ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां- सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद, पी0सी0सी0 लॉजिस्टिक लिमिटेड, दिल्ली व यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी, गाजियाबाद अधिकृत की गई है | तीन कंपनियों के अधिकृत किए जाने के कारण सभी कंपनियों को मदिरा परिवहन के लिए अवसर दिए जाने की दशा में शिकायतकर्ता का मदिरा परिवहन का अवसर कम होने के कारण शिकायत की गई है | वर्ष 2019- 20 में शिकायतकर्ता की यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी ही कार्य करती थी | जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं अपने बयान में कहा गया है कि सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा उनके समानांतर दो और ट्रांसपोर्टेशन कंपनियां मदिरा परिवहन के लिए कंपटीशन में खड़ी कर दी गई है, से यह स्पष्ट है कि उनके मदिरा परिवहन करने का अवसर कम होने से शिकायतकर्ता को परेशानी है | जबकि सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा के परिवहन के संबंध में ट्रांसपोर्ट कंपनियों को अधिकृत किए जाने में उनकी कोई भूमिका नहीं होती, यह पूरी तरह से आसवनी द्वारा अपने व्यापारिक हित को दृष्टिगत रखते हुए आसवक द्वारा ट्रांसपोर्टरों को अधिकृत किया जाता है | अतः शिकायतकर्ता का यह कथन कि सहायक आबकारी आयुक्त, श्री अरुण कुमार शुक्ल द्वारा ट्रांसपोर्ट कंपनियां उनके कंपटीशन में खड़ी कर दी गई, असत्य एवं निराधार है |

ङ. शिकायतकर्ता ने श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त, ए0डी0एस0 आसवनी पर गाड़ी लगाए जाने के संबंध में पैसे की मांग किए जाने की शिकायत की गई है | इस संबंध में शिकायतकर्ता से साक्ष्य की अपेक्षा की गई, किंतु उसके द्वारा किसी भी प्रकार साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया | अतएव साक्ष्य के अभाव में श्री शुक्ल पर शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया उक्त आरोप सही नहीं है | यह आरोप शिकायतकर्ता द्वारा स्वार्थ सिद्ध न होने की दशा में सहायक आबकारी आयुक्त पर दबाव बनाए जाने की नियत से लगाया गया है, जबकि इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है |

च. इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि *शिकायतकर्ता द्वारा आसवनी एवं सहायक आबकारी आयुक्त, श्री अरुण कुमार शुक्ल की शिकायत अधोहस्ताक्षरी से दूरभाष पर भी की गई थी | मेरे द्वारा उक्त शिकायत को नियमानुसार समाधानित किये जाने हेतु*

संबंधित को तत्काल निर्देश दे दिया गया था। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता द्वारा तथ्यों को छुपाते हुए शिकायत की गई थी किंतु जांच के दौरान शिकायतकर्ता द्वारा दूरभाष पर की गई उक्त शिकायत असत्य पाई गई।

छ. आसवक द्वारा अधिकृत ट्रांसपोर्ट कंपनियों से मदिरा परिवहन हेतु गाड़ियों के अनुमन्य किए जाने हेतु *अभिलेखों के अवलोकन में यह पाया गया कि माह मई - 2020 से जांच दिनांकित 07-07-2020 तक सरस्वती ट्रांसपोर्ट की 173 गाड़ियां, पी0सी0सी0 लॉजिस्टिक कंपनी की 141 गाड़ियां तथा यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी की 84 गाड़ियों को मदिरा परिवहन हेतु उपयुक्त पाते हुए अनुमन्य किया गया है।* जांच दिनांकित 07-07-2020 को भी कुल 6 गाड़ियों को लोडिंग के लिए अनुमति दी गई है, जिसमें शिकायतकर्ता की यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी को दो गाड़ी लोडिंग हेतु अनुमन्य है।

ज. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता द्वारा श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त के विरुद्ध की गई शिकायत निराधार तथ्यों से परे है। शिकायतकर्ता द्वारा उक्त शिकायत में लगाए गए आरोप स्वार्थ पूर्ति हेतु सहायक आबकारी आयुक्त पर नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव बनाए जाने की नियत से लगाए गए हैं। जांच में शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत सही नहीं पाई गई।

निष्कर्ष

1. बिंदु संख्या 1 में शिकायतकर्ता द्वारा "**हर बार गाड़ी लोड कराने पर पैसे की मांग करते हैं यदि पैसा नहीं मिलता है तो कुछ भी बहाना लगा कर गाड़ी को लोड नहीं होने देते है ।**" अवगत कराते हुए, "**इस अधिकारी के यहाँ पर तैनात रहते हुए मेरी निष्पक्ष जाँच नहीं हो सकती | अरुण कुमार शुक्ल अपने पद का पूर्व से ही दुरूपयोग करते है | अरुण कुमार शुक्ल अपने पद के प्रभाव से सम्पूर्ण जाँच प्रभावित करेंगे | जोकि निष्पक्ष व नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है |**" जैसे कतिपय आरोप अंकित गए किये | तद्क्रम में शिकायतकर्ता द्वारा "**उपरोक्त को द्रष्टिगत रखते हुए निष्पक्ष जाँच हेतु तथा जाँच प्रभावित न हो सके को ध्यान में रखकर अरुण कुमार शुक्ल को स्थानांतरित करते हुए जांच पूर्ण की जाए अन्यथा किसी स्थिति में निष्पक्ष जाँच संभव नहीं है |**" संस्तुति की गयी |
2. बिंदु संख्या 2.(क) उपरोक्त में श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त, ए० डी० एस० आसवनी, सिकंदराबाद, जनपद -बुलंदशहर द्वारा अपना पक्ष लिखित बयान प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि "**ऐसे बिना मानक के वाहनों से निकासी हेतु उक्त वाहन कंपनी मालिक रामकिशन द्वारा मेरे ऊपर दबाव बनाया जाता है।**" कथन साक्ष्य रहित है, उक्त कथन के सत्य होने की दशा में सक्षम अधिकारी द्वारा उसी समय सम्बंधित कार्यवाही की जानी चाहिए थी, तथा कृत कार्यवाही में प्राप्त साक्ष्यो को इस शिकायत के निस्तारण के क्रम उपलब्ध कराना चाहिए था |
3. बिंदु संख्या 2.(क) उपरोक्त में अवगत कराया गया कि "**उक्त व्यक्ति के मानक अनुरूप मेरे द्वारा निरंतर एवं अघतन (आज भी) निकासी दी गई है |**" तथा बिंदु संख्या 2(ख) में कथन किया गया "**वर्तमान वित्त वर्ष में माह मई 2020 से आज दिनांक 07.07.2020 तक ... ... यूपी-बिहार ने 84 गाड़ियां निकासी हेतु उपलब्ध कराई है | यू0पी0 बिहार ट्रांसपोर्ट कंपनी की दो गाड़ी आज भी निकासी हेतु उपलब्ध है ।**" जिससे स्पष्ट होता है कि शिकायतकर्ता का कार्य निरंतर जारी है तथा निकासी की स्वीकृति दिया जाना शिकायतकर्ता के द्वारा मानको के अनुसार कार्य किये जाने के आशय को स्पष्ट करता है |
4. शिकायतकर्ता द्वारा अपने शिकायती पत्र में शिकायत की गयी कि "**कभी प्रति गाड़ी लोड कराने पर पैसे की डीमांड करते है | यदि पैसे नहीं मिलते है तो कुछ भी बहाना लगाकर गाडियों को लोड नहीं होने देते है |**" बिंदु संख्या 2(ग) में "**उक्त**

प्रपत्रों के आवश्यक जांच उपरांत ही सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा परिवहन के लिए गाड़ियों के उचित पाए जाने की दशा में लोडिंग के लिए अनुमति दी जाती है।" उपरोक्त कथन गाडियों के निकासी में सहायक आबकारी आयुक्त, श्री अरुण कुमार शुक्ल की भूमिका की पुष्टि करता है तथा जाँच लोक सेवक के आचरण एवं भ्रष्टाचार के आरोप से अच्छादित है, जिसके सम्बन्ध में आयोग द्वारा जाँच अपेक्षित थी। "मदिरा लोडिंग के लिए किस ट्रांसपोर्टर की गाड़ी लेनी है, यह पूर्णतय आसवक का अपना निर्णय होता है। इसमें आबकारी विभाग की कोई भूमिका नहीं होती है।" कथन प्रकरण को दुसरे मार्ग पर परिवर्तित करता है अथार्त कथन भ्रामक है।

5. *बिंदु संख्या 2(ड) में अवगत कराया गया कि "शिकायतकर्ता ने श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त, ए0डी0एस0 आसवनी पर गाड़ी लगाए जाने के संबंध में पैसे की मांग किए जाने की शिकायत की गई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता से साक्ष्य की अपेक्षा की गई, किंतु उसके द्वारा किसी भी प्रकार साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव साक्ष्य के अभाव में श्री शुक्ल पर शिकायतकर्ता द्वारा लगाया गया उक्त आरोप सही नहीं है।" के सम्बन्ध में कथन को साक्ष्य न मानना तथा उसी क्रम में "यह आरोप शिकायतकर्ता द्वारा स्वार्थ सिद्ध न होने की दशा में सहायक आबकारी आयुक्त पर दबाव बनाए जाने की नियत से लगाया गया है, जबकि इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं है।" तथा बिंदु संख्या 2(ज) में "शिकायतकर्ता द्वारा उक्त शिकायत में लगाए गए आरोप स्वार्थ पूर्ति हेतु सहायक आबकारी आयुक्त पर नियम विरुद्ध कार्य करने के लिए दबाव बनाए जाने की नियत से लगाए गए हैं।" अवगत कराया गया, भ्रष्टाचार जैसे गंभीर आरोप में आरोपित लोकसेवक के कथन को ही केवल साक्ष्य मानना, नैसर्गिक/निष्पक्ष न्याय के विरुद्ध है।*

उपरोक्त प्राप्त निष्कर्ष के आलोक में आयोग द्वारा यह सम्यक रूप से सम्भाव्य होने के परिणामस्वरूप कि श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त जोकि एक लोकसेवक की श्रेणी में आते है, के ऊपर आचरण एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी गंभीर आरोप लगाए गए है तथा आयोग द्वारा अपेक्षित जाँच/अन्वेषण के क्रम में जांचकर्ता द्वारा शिकायतकर्ता के कथनों को साक्ष्य न मानकर, केवल आरोपित के कथनों को साक्ष्य मानकार निष्कर्ष "यह आरोप शिकायतकर्ता द्वारा स्वार्थ सिद्ध न होने की दशा में सहायक आबकारी आयुक्त पर दबाव बनाए जाने की नियत से लगाया गया है" लिया गया तथा जांचकर्ता द्वारा यह भली-भांति जानते हुए कि आसवक व्यापार हितो को ध्यान में

रखते हुए सहायक आबकारी आयुक्त के विरुद्ध बयान न देकर, सहायक आबकारी आयुक्त के पद से प्रभावित होगा, आसवक के बयानों को साक्ष्य माना, जिससे जाँच न्यायसंगत व निष्पक्ष न होना प्रतीत होता है |

तदनुसार उपरोक्त के क्रम में आयोग द्वारा अपेक्षित किया जाता है कि श्री अरुण कुमार शुक्ल, सहायक आबकारी आयुक्त अपने पद के प्रभाव से जाँच को प्रभावित न कर सके को द्रष्टिगत रखते हुए, अन्यत्र स्थानांतरित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 व अन्य आवश्यक नियमावली का अनुसरण करते हुए निष्पक्ष एवं न्यायसंगत जांच कर प्रकरण का शासन स्तर से निस्तारण किया जाए | आयोग को 15 कार्यदिवसो में जाँच आख्या / की गयी कार्यवाही से आयोग को अवगत कराना सुनिश्चित करे |

(डॉ. लोकेश कुमार प्रजापति)
माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(जे. रविशंकर)
अवर सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

(संदीप कुमार)
निजी सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग